रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 793] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2014/चैत्र 7, 1936
No. 793] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2014/CHAITRA 7, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

(आयकर)

का.आ.956(अ).—चूंकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य श्रीलंका की सरकार के बीच संलग्न करार (जिसे इसके बाद डी टी ए ए कहां जाएगा), जिस पर नई दिल्ली में 22 जनवरी, 2013 को हस्ताक्षर किए गए थे, 22 अक्तूबर, 2013 से प्रभावी होगा जो कि उपर्युक्त डी टी ए ए के अनुच्छेद 30 के अनुसार, डी टी ए ए को लागू करने के लिए संबंधित देशों के कानूनों के द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है।

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न डी टी ए ए के उपबंध भारत संघ में दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से लागू होंगे।

[अधिसूचना सं. 23 /2014/ फा.सं.503/8/2005-वि.क.प्र.-II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

अनुबंध
आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार
और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए
भारत गणराज्य की सरकार
और
लोकतांत्रिक समाजवादी श्रीलंका गणराज्य की सरकार
के बीच संशोधित करार

भारत गणराज्य और लोकतांत्रिक समाजवादी श्रीलंका गणराज्य, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से, निम्नानुसार सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद - 1
शामिल व्यक्ति

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा, जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद - 2
सम्मिलित कर

1. यह करार किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं।

2. चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाए गए करों और उद्यमों द्वारा प्रदत्त मजदूरी अथवा वेतनों की कुल राशियों पर करों सहित कुल आय पर अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा ।

3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार हैं:-

(क) भारत में, आयकर जिसमें उस पर लगने वाला अधिभार भी शामिल है;

(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा)।

(ख) श्रीलंका में, आयकर जिसमें निवेश बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त उद्यमों के टर्नओवर पर आधारित आयकर भी शामिल है:

(जिसे इसके बाद "श्रीलका कर" कहा जाएगा);

4. यह करार किसी भी समरूप अथवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों।

अनुच्छेद - 3
सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "भारत" शब्द से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिनमें समुद्री कानून, पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं;

(ख) "श्रीलंका" शब्द से अभिप्रेत है लोकतांत्रिक समाजवादी श्रीलंका गणराज्य, जिसमें उसका भूमि राज्यक्षेत्र आंतरिक जल और राज्यक्षेत्रीय समुद्र उसके ऊपर का हवाई क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ शामिल हैं जहां अंतरराष्ट्रीय कानून और इसके राष्ट्रीय विधान के अनुरूप लोकतांत्रिक समाजवादी श्रीलंका गणराज्य का प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, क्षेत्राधिकार है अथवा इसके बाद हो सकता है;

(ग) "एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकारी राज्य" शब्दों का अर्थ संदर्भ की अपेक्षानुसार भारत गणराज्य अथवा लोकतांत्रिक समाजवादी श्रीलंका गणराज्य है;

(घ) "व्यक्ति" शब्द पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों की कोई संस्था और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई के रूप में समझा जाता है;

(ड.) "कम्पनी" शब्द से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;

(च) "उद्यम" शब्द किसी प्रकार के कारोबार को करने पर लागू होगा;

(छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) "अंतरराष्ट्रीय यातायात" शब्दों से अभिप्रेत है - एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा परिचालित किसी जलयान अथवा वायुयान द्वारा परिवहन से है सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;

(झ) "सक्षम प्राधिकारी" शब्द से अभिप्रेत है :

(i) भारत गणराज्य के मामले में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ii) श्रीलंका में : आंतरिक राजस्व महा-आयुक्त

(ञ) "राष्ट्रिक" शब्द से अभिप्रेत है :

(i) किसी एक संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यक्ति;

(ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारी और संस्था, जिसे अपनी इस तरह की हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;

(ट) "कर" शब्द से संदर्भ के अनुसार भारतीय कर अथवा इंडोनेशियन कर अभिप्रेत है, परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी, जो उन करों के संबंध में किसी भूल अथवा चूक के संदर्भ में देय हो, जिन पर यह करार लागू होता हो अथवा उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदंड अथवा जुर्माने का द्योतक हो।

(ठ) "राजकोषीय वर्ष" शब्द से तात्पर्य है:

(i) भारत गणराज्य के मामले में, पहली अप्रैल को आरंभ होने वाला वित्तीय वर्ष;

(ii) श्रीलंका के मामले में : पहली अप्रैल को आंरभ होने वाला कर निर्धारण वर्ष।

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा जहां तक किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उस करों के प्रयोजनों के लिए उस राज्य, जिस पर यह करार लागू होता है, के कानूनों के अंतर्गत उस समय होता है और यह अर्थ उस राज्य में लागू किए जाने वाले कर कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा जो उस राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत लगाए जाते हैं।

अनुच्छेद - 4
निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध-स्थान, निगमन के स्थान अथवा किसी ऐसे ही कारण से कर लगाया जा सकता है और इसमें वह राज्य और इसका कोई राजनयिक उप-प्रभाग अथवा उसका स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है। तथापि, इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर केवल उस राज्य में स्थित स्रोतों से होने वाली आय पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

(क) उसे केवल उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

(ख) यदि उस राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;

(ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका कि वह एक राष्ट्रिक है ;

(घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य का राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहाँ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तब उसे केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है । यदि उस राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद - 5
स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए "स्थायी संस्थापन" पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

2. स्थायी संस्थापन पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबंधन का कोई स्थान;

(ख) कोई शाखा;

(ग) कोई कार्यालय;

(घ) कोई कारखाना;

(ङ) कोई कार्यशाला;

(च) खान, तेल या गैस का कुआं, खदान या प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण के अन्य स्थान;

(छ) कोई खेत, बाग अथवा कोई अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा संबंधित गतिविधियाँ की जाती हैं;

(ज) कोई बिक्री का स्थान;

(झ) किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भाण्डागार, जो दूसरों को भण्डारण सुविधाएं मुहैया कराता हो।

3.(क) कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण, प्रस्थापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा एक ड्रिलिंग रिग अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप तभी एक स्थायी संस्थापन बनेगा यदि ऐसा भवन स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप 183 दिनों से अधिक समय तक चले ।

(ख) सेवाएं प्रस्तुत करना, जिसमें इस प्रयोजन हेतु उद्यम में लगे हुए कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से उस उद्यम की परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, जिसका एक स्थायी संस्थापन है परन्तु केवल जहां संविदाकारी राज्य के भीतर उस स्वरूप के

क्रियाकलाप किसी 12 महीने की अवधि के भीतर कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए जारी रहती हों (उसी अथवा संबद्ध परियोजना हेतु);

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी स्थायी संस्थापन पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :

(क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना;

(ख) मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना;

(घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;

(ड.) उद्यम के लिए केवल प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के प्रयोजनार्थ कारोबार के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;

(च) उप-पैराग्राफ (क) से (ड.) तक में उल्लिखित केवल किन्हीं कार्य-कलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां स्वतंत्र हैसियत के किसी अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति अन्य संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य करता है, वहां उन कार्यकलापों के संबंध में, जिन्हें उक्त व्यक्ति उद्यम के लिए करता है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में उस उद्यम के स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति को :

(क) उस उद्यम के नाम से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन उस प्राधिकार का प्रयोग भी करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित न हों, जिन्हें यदि वह कारोबार को एक निश्चित स्थान से चलाता है, तो उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा; अथवा

(ख) ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह फिर भी आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो; अथवा

(ग) स्वयं, उद्यम के लिए पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णतया प्रथोल्लिखित राज्य में आदतन कार्य का आर्डर प्राप्त करता हो अथवा उद्यम तथा दूसरे उद्यमों के लिए जो नियंत्रणकारी हैं, के द्वारा नियंत्रित है, अथवा उसी सामान्य नियंत्रणाधीन है, जैसा वह उद्यम;

6. इस अनुच्छेद के पूर्व प्रावधानों के होते हुए भी, संविदाकारी राज्य का बीमा उद्यम को पुन: बीमा के संबंध के अलावा, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन रखना माना जाएगा, यदि ये उस दूसरे राज्य के क्षेत्र में प्रीमियम एकत्र करता है अथवा स्वतंत्र स्थिति के किसी एजेंट से भिन्न एक व्यक्ति के माध्यम से उनमें स्थित जोखिमों को बीमा करता है, जिनमें पैराग्राफ 7 लागू होता है।

7. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार के सामान्य दौर से काम कर रहे हों। तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा

1406 GI/14-2

लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तो उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा ।

8. यह तथ्य कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, तो उन दोनों में से किसी एक कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. अचल सम्पत्ति पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है, जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति स्थित है । इस पद में, किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और कार्य करने के प्रतिफल के रूप में अस्थिर और निश्चित भुगतान के अधिकार अथवा कार्य करने के अधिकार, खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जलयान, नौकाएं और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभ, वे लाभ माने जाएंगे जिनके होने की संभावना तब होगी जब एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई और विशिष्ट उद्यम होता और वह उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो उस स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही वे उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा किसी राज्य के कर कानूनों के उपबंधों के अनुसार तथा सीमाओं के अध्यधीन अन्यत्र किए गए हों । तथापि, राशियों के संबंध में, यदि कोई हों, ऐसी किसी कटौती की अनुमति नहीं होगी जो किसी स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के मुख्य कार्यालय अथवा उसके किसी अन्य कार्यालय को पेटेंट, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले रायल्टियों, फीसों अथवा अन्य समान अदायगियों के माध्यम से अथवा विशिष्ट निष्पादित सेवाओं अथवा प्रबंधन के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रभारों के जरिए अथवा बैंकिंग उद्यमों के मामलों के अतिरिक्त स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में अदा (वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति के प्रति के अतिरिक्त) की गई हो । इसी प्रकार, किसी स्थायी संस्थापन द्वारा पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के लिए अथवा उसके अन्य कार्यालयों को अथवा निष्पादित विशिष्ट सेवाओं अथवा प्रबंध के लिए कमीशन या अन्य प्रभारों के द्वारा बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा अन्य इसी प्रकार की अदायगियों के द्वारा किसी उद्यम के मुख्यालय

को अथवा किसी बैंकिंग उद्यम के मामले के अतिरिक्त किसी उद्यम के मुख्यालय अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को उधार दिए गए धन पर ब्याज के जरिए प्रभारित राशियों (वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति के प्रति के अतिरिक्त) को किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

4. जहां तक एक संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर एक स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य में प्रचलित प्रभाजन पद्धति से कर योग्य लाभ का निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी, तथापि, प्रभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुकूल होगा।

5. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

7. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद - 8
जहाजरानी और वायु परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयानों के प्रचालन से उद्भूत लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. अंतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के संचालन से दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत लाभों पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लगाया जा सकता है परन्तु इस प्रकार प्रभारित कर उसके 50 प्रतिशत तक के बराबर राशि तक कम किया जा सकेगा।

3. यदि जहाजरानी उद्यम के प्रभावी प्रबंधन का स्थान एक विदेशी जलयान है तब इसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित होना माना जाएगा जिसमें जलयान का घरेलू बंदरगाह स्थित है अथवा यदि ऐसा कोई घरेलू बन्दरगाह संविदकारी राज्य में नहीं है जिसका जलयान का संचालनकर्ता एक निवासी है।

4. किसी परिवहन उद्यम, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, को अंतर्राष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य के परिवहन के लिए प्रयुक्त कंटेनरों के प्रयोग, अनुरक्षण अथवा किराए पर दिए जाने (जिसमें कंटनरों के परिवहन के लिए ट्रैलर अथवा अन्य उपस्कर शामिल हैं) से उद्भूत लाभों, जो प्रासंगिक है को अंतरराष्ट्रीय यातायात में ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से ऐसे वायुयानों अथवा जलयानों के ऐसे अंतरराष्टीय संचालन से प्राप्त लाभों के रूप में माना जाएगा और उन पर क्रमश: पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के अध्यधीन कर लगाया जाएगा, जब तक कि कंटेनर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर ही प्रयोग न किए गए हों।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित निवेशों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से उद्भूत लाभ माना जाएगा यदि वे ऐसे कारोबार को चलाने के लिए अत्यावश्यक है और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

6. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल में भागीदारी, किसी संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद - 9
सहयोगी उद्यम

1. जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

(ख) एक ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है;

और दोनों में से किसी भी मामले में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाएगी तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकते हैं और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकता है।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि का समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद - 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसका लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांशों की सकल राशि के 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस पैराग्राफ के उपबंध उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें से लाभांश अदा किए गए हैं।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" पद का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है जो अन्य निगमित अधिकारों से आय के साथ-साथ लाभ में भागीदारी रखती है तथा जो ऋण का दावा नहीं हो, और जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत वहीं कराधान व्यवस्था लागू होती है जो शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस सम्पत्ति के संबंध में लाभांशों की अदायगी की जाती है वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जब तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हों, अथवा जब तक कि जिस सम्पत्ति के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध हो और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

अनुच्छेद - 11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकता है जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्‌भूत ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि इसे निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया गया हो और हितभागी रूप से निम्नलिखित द्वारा अपने स्वामित्व में रखा गया हो :

क) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण; अथवा

ख) (i) भारत के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक; भारतीय निर्यात आयात बैंक, राष्ट्रीय आवासीय बैंक; और

(ii) श्रीलंका के मामले में, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका; अथवा

ग) कोई अन्य संस्थान जिसकी पूंजी उस राज्य की सरकार द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली है तथा जिस पर पत्रों के आदान-प्रदान के जरिए संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच समय-समय पर सहमति हुई हो ।

4. इस अनुच्छेद में यथा - प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है - प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभ में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो तथा विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से, प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हों । लम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होते हुए दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उदभूत हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो । ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्‌भूत हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो । तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में ऋण ग्रस्तता जिस पर ब्याज प्रदत्त किया गया था, इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया गया है, तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्‌भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए यह रकम अदा की गई है, उस रकम से अधिक हो जाती है, जिसके संबंध में, इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच, सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगियों के आधिक्य भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 12

रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्‌भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियाँ या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्‌भूत हुई हों, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेकिन यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3.(क) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियाँ" शब्द का अभिप्राय है - किसी साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट, जिसमें सिनेमाटोग्राफ फिल्में अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए प्रयुक्त फिल्में अथवा टेपें अथवा डिस्क शामिल हैं, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, योजना, गुप्त सूत्र अथवा प्रक्रिया के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार

1406 GI/14-3

हेतु अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार के भुगतान।

(ख) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" पद का अभिप्राय है तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों की सेवाओं के उपबंध सहित कोई प्रबंध-कार्य, या तकनीकी अथवा परामर्शी स्वरूप की सेवाओं के प्रतिफल में की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं, परन्तु इसमें इस करार के अनुच्छेद 14 तथा 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगी शामिल नहीं हैं।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होते हुए दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उद्भूत होता है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क अदा किया जाता है, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध हैं। ऐसे मामले में यथास्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

5. (क) एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियां या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क तब उद्भूत हुआ माना जाएगा, जब अदाकर्ता स्वयं राज्य, उसका कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो, और ऐसी रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया गया हो, तब ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

(ख) जहां उप-पैराग्राफ (क) के तहत रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क किसी एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत न हुआ होता और रायल्टियाँ, अधिकार अथवा सम्पत्ति के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार से संबंधित हो अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क किसी एक संविदाकारी राज्य में निष्पादित की गई सेवाओं से संबंधित है तो वे रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उस संविदाकारी राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा।

6. जहां, अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियाँ या तकनीकी सूचनाओं के लिए शुल्क की राशि, प्रयोग, प्रयोगाधिकार या सूचना के संबंध में, जिसके लिए वह अदा की जाता है, को ध्यान में रखते हुए उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर ऐसे संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी द्वारा सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों का आधिक्य भाग इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा।

अनुच्छेद - 13

पूंजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ-2 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबारी संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभ पर, जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र

वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. अंतरराष्ट्रीय यातायात में संचालित जलयानों अथवा वायुयानों के अंतरण से अभिलाभ अथवा ऐसे जलयान अथवा वायुयान के संचालन से संबंधित चल संपत्ति से लाभ केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे जिसकी अंतरणकर्त्ता एक निवासी है।

4. किसी कंपनी के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अंतरण से लाभ जिसकी संपत्ति संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपे से निहित होती है, पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

5. पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों के अतिरिक्त कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, उसमें शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 तथा 5 में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है।

अनुच्छेद - 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन अथवा इसी प्रकार के स्वरूप वाले अन्य स्वतंत्र कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितयों के अतिरिक्त, जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा :

(क) यदि उसे अपने कार्य-कलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में केवल उतनी आय पर उस दूसरे राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, जो उस निश्चित स्थान के कारण प्राप्त हुए हो; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां संबंधित राजकोषीय वर्ष में प्रारंभ अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक दिन हों, तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्य-कलापों से प्राप्त हुई हो।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु-विदों, शल्य-चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य-कलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद - 15

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन का निष्पादन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो। यदि ऐसा नियोजन किया गया है, तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकता है।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के बावजूद, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता, संबंधित वित्तीय वर्ष में समाप्त अथवा प्रारंभ हुई किसी बारह महीने की ऐसी अवधि अथवा अवधियों में दूसरे राज्य में रह रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं हैं;

(ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है; और

(ग) पारिश्रमिक ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का उस दूसरे संविदाकारी राज्य में हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित किसी पोत अथवा वायुयान पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस और इसी तरह की अन्य अदायगियों पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के बावजूद भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा कलाकार, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार अथवा किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां किसी कलाकार अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपने इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं कलाकार या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है तो, ऐसी आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के बावजूद, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें कलाकार अथवा खिलाड़ी के कार्य-कलाप किए जाते हों ।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी कलाकार अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए अपने कार्य-कलापों से अर्जित आय पर लागू नहीं होंगे यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये कार्यकलाप एक या दोनों संविदाकारी राज्यों या राजनीतिक उप प्रभागों या उसके स्थानीय प्राधिकारियों की सार्वजनिक निधियों द्वारा समर्थित हों । ऐसे मामले में उस आय पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसका वह कलाकार या खिलाड़ी निवासी है ।

अनुच्छेद - 18

पेंशन और वार्षिक वृत्ति

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अध्यधीन, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को उसके पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक और किसी वार्षिक वृत्ति पर और ऐसे निवासी को अदा की गई किसी वार्षिक वृत्ति पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा ।

2. "वार्षिक वृत्ति" शब्द से तात्पर्य है धन अथवा धन के मूल्य के बराबर पर्याप्त और पूर्ण प्रतिफल के बदले में अदायगियां करने के लिए किसी बाध्यता के तहत जीवन के दौरान किसी विनिर्दिष्ट अथवा निश्चेय अवधि के दौरान निश्चित समय पर आवधिक रूप से अदायगी योग्य कोइ नियत राशि ।

अनुच्छेद - 19

सरकारी सेवा

1.(क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में की गई सेवाओं के लिए किसी व्यष्टि को अदा की गई पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य में कर लगेगा।

(ख) तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं उस राज्य में की जाती हों और उक्त व्यष्टि उस राज्य का निवासी हो, जो :

(i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो; अथवा

(ii) मात्र सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।

2.(क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उसके किसी उप-प्रभाग अथवा किसी प्राधिकरण द्वारा उसके द्वारा सृजित निधियों में से या उस के द्वारा अदा की गई पेंशन पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर तभी लगेगा, यदि उक्त व्यष्टि उस दूसरे राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो।

3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, "सरकार" में कोई राज्य सरकार अथवा दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य का स्थानीय प्राधिकरण शामिल है।

अनुच्छेद - 20

प्रोफेसर, अध्यापक और शोधकर्ता

1. कोई प्रोफेसर, अध्यापक के अथवा शोधकर्ता जो राज्य में दूसरे संविदाकारी स्थित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा उस राज्य द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान में शिक्षण अथवा शोध-कार्य अथवा दोनो करने के लिए उस राज्य का दौरा करता है और जो उस दौरे से तुरंत पूर्व उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था तो उसे ऐसे शिक्षण अथवा शोध कार्य के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी। यह छुट उस तारीख से केवल दो वर्षों से अनधिक की अवधि के लिए ही लागू होगा, जिस तारीख से वह व्यक्ति उस प्रथमोल्लिखित राज्य का प्रथमतः दौरा करता है।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, किसी व्यष्टि को किसी संविदाकारी राज्य का एक निवासी समझा जाएगा, यदि वह उस वित्तीय वर्ष में जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा उसके तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उस राज्य का एक निवासी रहा हो।

3. इस पैराग्राफ के प्रयोनार्थ शब्द 'मान्यता प्राप्त संस्थान' से तात्पर्य है को संस्थान जो इस संबंध में संबंधित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।

अनुच्छेद - 21

विद्यार्थी

1. किसी विद्यार्थी को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उपस्थित है, को अनुदानों, ऋणों और छात्रवृत्तियों और उन के भरण पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस राज्य के बाहर के स्रोतों से प्राप्त किन्हीं अदायगियों के अतिरिक्त उन अदायगियों पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी जो वह किसी नियोजन से प्राप्त करता है जिसे वह दुसरे संविदाकारी राज्य में करता है यदि ऐसा नियोजन उस के अध्ययन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।

2. नियोजन से पारिश्रमिक के बारे में पैराग्राफ 1 के अन्तर्गत उपलब्ध छूट 3000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष के बराबर राशि से अधिक नहीं होगी।

3. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो परन्तु, किसी भी स्थिति में, किसी भी व्यष्टि को इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस की शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार छह वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे।

अनुच्छेद -22

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी

1406 GI/14-4

संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की मदें जिन पर इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है और जो दूसे संविदाकरी राज्य में उत्पन्न हुई है, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 23

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में प्रवृत कानून संबंधित संविदाकारी राज्य में आय के कराधान को अभिशासित करना जारी रखेंगे सिवाय उस स्थिति के, जब इस करार में, इस के विपरीत कोई उपबंध किया गया हो। जब आय दोनों संविदाकारी राज्यों कर के अधीन है तो इस अनुच्छेद के निम्नलिखित पैराग्राफों के अनुसार दोहरे कराधन से राहत प्रदान की जाएगी।

2. भारत में :

क) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार श्रीलंका में कर लगाया जा सकता है, उन मामलों में भारत, उस निवासी की आय पर श्रीलंका में अदा किए गए कर के बराबर की राशि की कटौती की अनुमति प्रदान करेगा।

तथापि, ऐसी कटौती की राशि, कटौती किए जाने से पूर्व यथा-संगणित, कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो ऐसी आय के कारण हो, जिस पर श्रीलंका में कर लगाया जा सकता है।

ख) जहां करार के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में भारत के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय भारत में कर से छूट प्राप्त है तो, भारत फिर भी, ऐसे निवासी की बाकी आय अथवा पूंजी पर कर की राशि की संगणना करते समय उस छूट-प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।

3. श्रीलंका में :

(क) जहां श्रीलंका का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां श्रीलंका भारत में अदा किये गये कर के बराबर राशि की उस निवासी की आय पर कर से कटौती के रूप में अनुमति देगा।
तथापि, ऐसी कटौती कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसे छूट दिये जाने से पूर्व संगणित किया गया हो, जो उस आय पर आरोप्य है जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता है जैसा भी मामला हो।

(ख) जहां करार के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में श्रीलंका के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय पर श्रीलंका में कर से छूट प्राप्त है तो, श्रीलंका फिर भी, ऐसे निवासी की बाकी आय अथवा पूंजी पर कर की राशि की संगणना करते समय उस छूट प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।

अनुच्छेद - 24

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर विशेषतः निवास के संबंध में उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू की जा सकती हो। अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्य के निवासी नहीं हैं।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। यह उपबंध एक संविदाकारी राज्य के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के आधार पर कराधान प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी देने के लिए बाध्यकारी नहीं बनाते, जो वह अपने निवासियों को देता है। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे किसी संविदाकारी राज्य को दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन

के लाभ पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो कि कर की उस दर से दस प्रतिशतांक से अधिक नहीं है जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की ऐसी ही कम्पनी के लाभों पर लगाई जाती है, न ही यह अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है ।

3. ऐसे मामले को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 या अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये गये ब्याज, रायल्टी तथा अन्य भुगतान, ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को किया गया हो ।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण है, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है ।

5. इस अनुच्छेद के उपबंध, इस करार में सम्मिलित करों पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 25

पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाईयों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों द्वारा उपबंधित उपायों पर ध्यान किए बिना अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः उस पर ऐसा कराधान लगाया जाता है जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों में कोई भी समय-सीमा क्यों न हो ।

3. यदि इस अभिसमय की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई हो ।

4. पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । जब समझौता करने की दृष्टि से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त प्रतीत हो तो ऐसा आदान-प्रदान ऐसे आयोग के जरिए किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हों।

अनुच्छेद - 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को लागू करने के लिए आनुमानित रूप से संगत हो अथवा संविदाकारी राज्यों या उनके राजनीतिक उप-प्रभागों या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी प्रकार के व विवरण वाले उन करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रशासन अथवा कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है । सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है ।

2. पैराग्राफ-1 के अंतर्गत किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ-1 में संदर्भित करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली

करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हों। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। पूर्ववर्ती सूचना के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना को दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है जब ऐसी सूचना को दोनों राज्यों के कानूनों के अंतर्गत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया गया हो और आपूर्तिकर्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को अधिकृत करता हो।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;

ख) ऐसी सूचना दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों देना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;

ग) ऐसी सूचना प्रदान करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गोपनीयता अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (पब्लिक आर्डर) के विरूद्ध हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस अन्य राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना सप्लाई करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।

अनुच्छेद - 27
करों की वसूली में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।

2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य करार के अंतर्गत आने वाले करों क संबंध में देय राशि और ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, अर्थ-दंड और वसूली की लागत अथवा संरक्षण के संबंध में है। संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए करों प्रतिकूल नहीं है।

3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और उस संविदाकारी समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस विवादकारी राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा और उस राजस्व दावे को उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली, के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार वसूल किया जाएगा, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा था।

4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह संविदाकारी राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। दूसरा अन्य संविदाकारी राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे थे, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।

5. इस अनुच्छेद के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य के अनुरोध पर केवल तभी लगाए जाएंगे जब उस संविदाकारी, राज्य के घरेलू कानूनों के तहत वसूली के सभी स्वीकृत उपाय नि:शेष हो गए हों।

6. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया राजस्व दावा उस संविदाकारी राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।

7. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष ही लाया जाएगा। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्रवाई के लिए किसी अधिकार को सृजित करना अथवा उसे प्रदान करना हो।

8. जहां, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और इससे पहले कि दूसरे संविदाकारी राज्य ने संगत राजस्व दावे को वसूल किया हो और प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य को प्रेषित किया हो, राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा :

क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा

ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह संविदाकारी राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है। प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे संविदाकारी राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य अपने अनुरोध को आस्थगित अथवा हटा लेगा।

9. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा :

क) उस संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से भिन्न प्रशासनिक उपाय करना;

ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;

ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;

घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपात में न हो।

अनुच्छेद - 28

लाभों का परिसीमन

1. इस अनुच्छेद में की गई व्यवस्था को छोड़कर कोई ऐसा व्यक्ति (किसी व्यष्टि से भिन्न) जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य से आय प्राप्त करता है इस करार के सभी लाभों का पात्र होगा जो किसी संविदाकारी राज्य के निवासियों को तभी दिए जाते हैं यदि ऐसे निवासी अर्हता प्राप्त निवासी हैं, जैसाकि पैराग्राफ 2 में परिभाषित है और ऐसे लाभों को प्राप्त करने के लिए इस करार की अन्य शर्तों को पूरा करते हों।

2. किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी तभी किसी वित्तीय वर्ष के लिए अर्हता प्राप्त व्यक्ति होगा यदि ऐसा निवासी निम्नलिखित में कोई एक हो।

क) सरकारी सत्ता; अथवा

ख) दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक में निगमित कोई कम्पनी, यदि

i) इसके शेयरों की मुख्य श्रेणी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 5 में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और ;नका नियमित रूप से एक अथवा एक से अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किया जाता है, अथवा

ii) कम्पनी में शेयरों का समग्र वोट अथवा मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत पर किसी एक संविदाकारी राज्य के एक अथवा इससे अधिक व्यक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी भी संविदाकारी राज्य में निगमित कम्पनी में अन्य व्यक्तियों का कम से कम 50 प्रतिशत का समग्र वोट अथवा शेयर मूल्य अथवा हित भागी स्वामित्व हो, जो किसी एक संविदाकारी राज्य के एक अथवा इससे अधिक व्यक्तियों के प्रत्यक्षतया अथवा परोक्षतया स्वामित्व में हो, अथवा

ग) कोई भागीदारी अथवा व्यक्तियों का संगठन, जिसके कम से कम 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हितभागी किसी एक संविदाकारी राज्य के एक अथवा इससे अधिक व्यक्तियों के स्वामित्व में हों अथवा/किसी भी संविदारीकारी राज्य में अन्य व्यक्तियों द्वारा निगमित कंम्पनी में, ;नका समग्र वोट का कम से कम 50 प्रतिशत अथवा शेयरों का मूल्य अथवा हितभागी स्वामित्व हो जो किसी एक संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों के प्रत्यक्षतया अथवा परोक्षतया स्वामित्व में हो ; अथवा

घ) कोई ऐसा धर्मार्थ संस्थान अथवा अन्य कर छूट प्राप्त सत्ता जिसके मुवय कार्यकलाप दोनों में से किसी भी एक संविदाकारी राज्य में चलाए जाते है।

बशर्ते कि उपर्युक्त व्यक्तियों को करार के लाभों का अधिकार प्राप्त नहीं होगा यदि कराधेय वर्ष हेतु किसी व्यक्ति की 50 प्रतिशत से अधिक सकल आय ऐसे व्यक्तियों को अदा की जाती है अथवा यह उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संदेय होती है जो उन अदायगियों के रूप में दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के निवासी नहीं हैं जो इस करार में शामिल कर संगणना के प्रयोजनार्थ व्यक्ति के निवास राज्य में इस प्रयोजनार्थ कटौती किए जाने योग्य है (परन्तु इसमें सेवाओं अथवा वास्तविक सम्पत्ति के कारोबार के लिए साधारणतया समुचित रूप से किया गया (आर्म्स लेंथ पेमेंट) भुगतान तथा वित्तीय बाध्यताओं हेतु किसी बैंक के स्थायी संस्थापन, जो दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य में स्थित हो, के कारोबार सम्बन्धी लेन-देन के भुगतान पर की गयी राशि शामिल नहीं होगी)।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध लागू नहीं होंगे तथा एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे राज्य से प्राप्त की गई आय की मद के संबंध में करार के लाभों के लिए पात्र होगा, यदि व्यक्ति सक्रिय रूप से निवास राज्य में कारोबार चलाता हो (स्वयं के कारण निवासियों हेतु निवेश करने अथवा व्यवस्था करने के कारोबार से भिन्न कारोबार, जब तक कि ये गतिविधियां बैंकिंग, बीमा अथवा प्रतिभूति संबंधी गतिविधियाँ न हों) और दूसरे संविदाकारी राज्यों से प्राप्त की गई आय उस कारोबार के संबंध में प्राप्त की गई हो अथवा प्रासंगिक हो और वह निवासी ऐसे लाभों को प्राप्त करने हेतु इस करार की अन्य शर्तों से संतुष्ट होता है।

4. एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी को इसके होते हुए भी करार के लाभों को मंजूर किया जाएगा यदि दूसरे संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी यह निर्धारित करता है कि ऐसे व्यक्ति का संस्थापन अथव अधिग्रहण अथवा अनुरक्षण तथा इसके प्रचालनों की व्यवस्था इस करार के लाभों को प्राप्त करने के इसके मूल प्रयोजनों में से कोई एक न हो।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" का तात्पर्य है:

क) भारत में, कोई स्टॉक एक्सचेंज जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत मान्यता दी गयी हो;

ख) श्रीलंका में श्रीलंका के प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग से लाइसेंस प्राप्त कोई भी स्टॉक एक्सचेंज; और

ग) कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज जिसे सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के प्रयोजनों हेतु मान्यता देने के लिए सहमत होते हैं।

6. इस अनुच्छेद में अंतर्निहित किसी भी बात के होते हुए, किसी भी व्यक्ति को इस करार के लाभ उठाने का अधिकार नहीं होगा, यदि इसके कार्यकलाप इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हों जिनका मुवय उद्देश्य अथवा प्रमुख उद्देश्यों में से कोई एक उन करों का अपवंचन करना हो जिन पर यह करार लागू होता है।

अनुच्छेद – 29

राजनयिक मिशन के सदस्य एवं कौंसुली पद

इस करार की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक मिशन अथवा कौंसुली अधिकारियों के सदस्यों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद 30

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्यों की सरकारें इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने संबंधित कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में राजनयिक माध्यमों के जरिए लिखित रूप में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे ।

2. यह करार, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित परवर्ती अधिसूचनाओं की तारीख को लागू होगा ।

3. इस करार के उपबंधों का निम्नलिखित प्रभाव होगा :-

क) भारत में : उस वर्ष, जिस वर्ष में करार प्रवृत्त होता है, के अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष की अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्त वर्ष में प्राप्त की गई आय पर ;

ख) श्रीलंका में : अगले अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष की पहली अप्रैल को उस के बाद आरंभ होने वाले किसी कराधेय वर्ष में उदभूत आय के संबंध में, जिस में करार प्रवृत हुआ है ।

4. आय पर और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन के लिए भारत गणराज्य की सरकार और लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य श्रीलंका के बीच अभिसमय 27 जनवरी, 1982 को हस्ताक्षरित किया गया था, का समापन हो जाएगा और वह निष्प्रभावी हो जाएगा जब इस करार के उपबंध इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अनुसरण में प्रभावी हो जाएंगे ।

अनुच्छेद - 31

समापन

यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा जब तक कि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता । दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद आरम्भ होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यम से समापन का नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है । ऐसी स्थिति में यह करार निम्न के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

क) भारत में : उस वर्ष, जिसमें नोटिस दिया जाता है, के अगले उत्तरवर्ती कैलेण्डर वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई आय के संबंध में;

ख) श्रीलंका में : अगले अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा उसके बाद किसी कराधेय वर्ष में उदभूत आय के संबंध में;

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष 2013 के जनवरी माह के 22वें दिन हिन्दी, सिंहला एवं अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से	लोकतांत्रिक समाजवादी श्रीलंका गणराज्य की सरकार की ओर से
(सलमान खुर्शीद) विदेश मंत्री	(प्रो0 गामिनी लक्ष्मण पैरीस) विदेश मंत्री

प्रोतोकोल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और लोकतांत्रिक समाजवादी श्रीलंका गणराज्य की सरकार के बीच करार के लिए नई दिल्ली में वर्ष 2013 के जनवरी माह के 22वें दिन निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हुए हैं जो उक्त करार का एक आन्तरिक भाग बनेगा:

(i) अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 तथा 2 के बारे में यह समझा जाता है कि जहाँ एक संविदाकारी राज्य का एक उद्यम उसमें स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य में वस्तुओं की बिक्री करता है अथवा पण्य करता है अथवा कारोबार जारी रखता है, उस स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण उद्यमी द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि पर नहीं किया जायेगा, परन्तु प्राप्तियों के केवल उस भाग के आधार पर निर्धारित किया जायेगा जो ऐसी बिक्रियों अथवा कारोबार के लिए स्थायी संस्थापन के वास्तविक कार्यकलाप के लिए आरोप्य हैं। इसी तरह सर्वेक्षण, आपूति, सेवाओं, निर्माण तथा अधिष्ठापनाओं के लिए ठेकों के मामले में जब उद्यम के पास एक स्थायी संस्थापन है, तो ऐसे स्थायी संस्थापनों के लाभों का निर्धारण ठेके की कुल राशि पर नहीं किया जायेगा परन्तु इसका निर्धारण केवल ठेके के उस भाग के आधार पर किया जायेगा जिसे उस राज्य में स्थायी संस्थापन द्वारा प्रभावी रूप से किया जाता है जहाँ स्थायी संस्थापन स्थित है।

(ii) यह समझा जाता है कि इस करार के संबंध में यदि किसी समय संविदाकारी राज्य के घरेलू कानून के उपबंधों के दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को ज्यादा लाभकारी हैं, तो घरेलू कानून के ऐसे ज्यादा लाभकारी उपबंध इस करार के उपबंधों पर अभिभावी होंगे।

(iii) यह समझा जाता है कि 'लाभांश' पर अनुच्छेद 10 के बारे में 7.5 प्रतिशत की दर पर सहमत रोकने की दर करार के लागू होने की तारीख से तीन वर्ष बाद समीक्षा करने के अध्यधीन होगी। यदि इस दर को तीन वर्ष बाद समीक्षा नहीं की जाती है तो 7.5 प्रतिशत की सहमत दर जारी रहेगी।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष 2013 के जनवरी माह के 22वें दिन हिन्दी, सिन्हला एवं अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से	लोकतांत्रिक समाजवादी श्रीलंका गणराज्य की सरकार की ओर से
(सलमान खुर्शीद)	(प्रो0 गामिनी लक्ष्मण पैरीस)
विदेश मंत्री	विदेश मंत्री